AMAR UJALA, Lucknow, 4.4.2024
Page No. 2, Size:(4.21)cms X (6.68)cms.

मुख्तार की मौत के मामले की एनएचआरसी में की गई शिकायत

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की शिकायत, केस दर्ज होने का किया दावा

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई मौत के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शिकायत तथा बांदा के जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद केस दर्ज कर लिया है।

जेल अधीक्षक ने प्रक्रिया के अनुसार कैदी की मृत्यु पर आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। वहीं अमिताभ ठाकुर ने आयोग से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोग लंबे समय से उन्हें धीमी गति से जहर दिए जाने और जेल में हत्या का षडयंत्र किए जाने की आशंका व्यक्त कर रहे थे। साथ ही तबीयत खराब होने के बाद भी अस्पताल से जेल वापस भेज दिए जाने, एक जेलर के कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर पर बांदा जेल आने सहित तमाम ऐसे संदिग्ध तथ्य हैं, जो मुख्तार अंसारी की मौत पर गंभीर सवाल उठाते हैं। उन्होंने आयोग से इन सभी बिंदुओं पर जांच किए जाने की मांग की थी। ब्यूरो

Bhadas 4 Media

मुख्तार प्रकरण-अमिताभ ठाकुर की कंप्लेन पर मानवाधिका रआयोग में केस दर्ज!

https://www.bhadas4media.com/mukhtar-ansari-death-case-resister-human-right/

राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई मौत के मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्री य अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत तथा जेल अधीक्षक बांदा की रिपोर्ट के क्रम में केस संख्या 6183/24/12/2024 जेसीडी दर्ज कर लिया है.

जहां जेल अधीक्षक बांदा ने प्रक्रिया के अनुसार जेल में कैदी की मृत्यु पर मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी, वहीं अमिताभ ठाकुर ने आयोग से इस मृत्यु के संदिग्ध होने की शिकायत की थी.

उन्होंने न्हों कहा था कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोग एक लंबे समय से उन्हें धीमी गति से विष दिए जाने और जेल में हत्या का षडयंत्र किए जाने की आशंका व्यक्त कर रहे थे. साथ ही तबीयत खराब होने के बाद भी अस्पताल से जेल वापस भेज दिए जाने, एक जेलर के कुछ दिन पहले ही ट्रां सफर पर बांदा जेल आने सहित तमाम ऐसे संदिग्ध तथ्य हैं, जो मुख्तार अंसारी की मौत पर गंभीर सवाल उठाते हैं.

अमिताभ ठाकुर ने इन सभी बिंदुओं पर जांच किए जाने की मांग की थी. नीचें देखें कस्टोडियल डेथ केस में दर्ज रिपोर्ट का विवरण...

Business Recorder

Jammu, Kashmir is an internationally recognised disputed territory, Pakistan tells UN

https://www.brecorder.com/news/amp/40297137

ISLAMABAD: Pakistan has stated that grave human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, massive arms build-up by India, its aggressive war posturing and war-fighting doctrines directly impact regional and global peace in South Asia and thus are completely relevant to the work of the UN Disarmament Commission.

Gul Qaiser Sarwani, Counsellor at the Permanent Mission of Pakistan to the UN, stated this in his right of reply (RoR) to comments by India's delegation during the general debate of the UN Disarmament Commission, Pakistanâ€™s Permanent Mission to the UN in New York said in a statement.

It added that Sarwani categorically asserted that Jammu and Kashmir is an internationally recognised disputed territory and is not, by any means, a so-called integral part of India.

The Pakistani diplomat said that his country faces a significant threat of terrorism, which is orchestrated, supported and financed by its eastern neighbour, a well-known state sponsor of terrorism whose terrorist network has gone global, reaching countries far beyond its borders.

Sarwani reiterated Pakistan's stance on the longstanding Jammu and Kashmir dispute, emphasising that it remains on the agenda of the UN Security Council for over 75 years. He underscored that the final disposition of Jammu and Kashmir should be determined by its people through a United Nations-supervised plebiscite, as mandated by Security Council resolutions, to which India is bound to comply under Article 25 of the UN Charter.

On the draft programme of work of the Conference on Disarmament (CD), Sarwani expressed Pakistan's concerns over India's emphasis on the Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT), which disproportionately affects Pakistan's national security interests. He urged for flexibility and compromise from all delegations to break the longstanding deadlock in the CD.

â€œFailure to achieve consensus in the CD also reflects on the lack of sincere and inclusive efforts by the President to bring all member states on board,â€ he said.

Concluding his statement, the Pakistani representative called upon the international community to address attempts to undermine regional peace and security, emphasising their direct impact on prospects for disarmament at both regional and global levels.

Bhadainimirror

मुख्तार अंसारी मौत: मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज, अमिताभ ठाकुर ने भेजा था शिकायत पत्र...

https://bhadainimirror.com/Mukhtar-Ansari-death-Case-registered-in-Human-Rights-Commission

गैंगगैंस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जहां परिजनों ने देश के शीर्ष अदालत का रुख किया है, लखनऊ, भदैनी मि रर। गैंगगैंगस्टर से नेता बने मुख्ता र अंसारी की मौ त को लेकर जहां परि जनों ने देश के शी र्ष अदालत का रुख कि या है, वहीं आजा द अधि का र सेना के रा ष्ट्री य अध्यक्ष अमि ता भ ठा कुर की शि का यत पर रा ष्ट्री य मा नवा धि का र आयो ग ने मुख्ता र अंसारी की बां दा जेल में हुई मौ त के मा मले में जेल अधी क्षक बां दा की रि पो र्ट के क्रम में केस दर्ज कर लि या ह

जहां जेल अधी क्षक बां दा ने प्रक्रि या के अनुसार जेल में कैदी की मृत्यु पर मा नवा धि का र आयो ग को अपनी रि पो र्ट भेजी थी , वहीं अमि ता भ ठा कुर ने आयो ग से इस मृत्यु के संदि ग्ध हो ने की शि का यत की थी . अमि ता भ ठा कुर ने कहा था कि मुख्ता र अंसारी और उनके परि वा र के लो ग एक लंबे समय से उन्हें धी मी गति से वि ष दि ए जा ने और जेल में हत्या का षडयंत्र कि ए जा ने की आशंका व्यक्त कर रहे थे. साथ ही तबी यत खरा ब हो ने के बा द भी अस्पता ल से जेल वा पस भेज दि ए जा ने, एक जेलर के कुछ दि न पहले ही ट्रां सफर पर बां दा जेल आने सहि त तमा म ऐसे संदि ग्ध तथ्य हैं, जो मुख्ता र अंसारी की मौ त पर गंभी र सवा ल उठा ते हैं. उन्हों नेन्होंने इन सभी बिं दुओं पर जां च कि ए जा ने की मां ग की थी .

NBT

मुख्तार अंसारी की मौत: मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जानिए क्या उठाए थे सवाल

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/ghazipur/mukhtar-ansari-death-case-registered-in-human-rights-commission-on-former-ips-amitabh-thakur-complaint-up-news/articleshow/109011586.cms

Mukhtar Ansari Death: मुख्तार अंसारी की मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुख्तार की मौत को लेकर मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज किया गया है। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में की थी।

अमितेश सिंह, गाजीपुर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के मामले केस दर्ज कियी है। मुख्तार मामले में में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत और जेल अधीक्षक बांदा की रिपोर्ट के क्रम में केस संख्या 6183/24/12/2024 जेसीडी दर्ज कर लिया है। जहां जेल अधीक्षक बांदा ने प्रक्रिया के अनुसार जेल में कैदी की मृत्यु पर मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। वहीं अमिताभ ठाकुर ने आयोग से इस मृत्यु के संदिग्ध होने की शिकायत की थी।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोग स्लो पॉइजन दिए जाने और जेल में हत्या का साजिश किए जाने की आशंका व्यक्त कर रहे थे। साथ ही तबीयत खराब होने के बाद भी अस्पताल से जेल वापस भेज दिए जाने पर सवाल उठाया है। एक जेलर के कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर पर बांदा जेल आने सहित तमाम ऐसे संदिग्ध तथ्य को लेकर अमिताभ ठाकुर ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर जांच करने की मांग की थी।

अमिताभ ठाकुर ने अभी कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तरफ से निष्पक्ष जांच में मुख्तार के मौत से जुड़े तथ्यों की सच्चाई सामने आ पाएगी। आयोग ने केस संख्या 6183/24/12/2024 के तहत मामला दर्ज किया है।

TELANGANA TODAY, Hyderabad, 4.4.2024
Page No. 8, Size:(18.12)cms X (19.23)cms.

NHRC notice to AP over girl student's suicide

Seeks detailed report within four weeks

NEW DELHI/VISAKHAPATNAM

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Andhra Pradesh Chief Secretary and the Director General of Police over a college student dying by suicide allegedly due to sexual harassment by a faculty member, an official said.

The NHRC has asked for a detailed report on the matter within four weeks and they have also asked the AP Chief Secretary and the DGP to include the status of the investigation.

"The NHRC has taken suo motu cognizance of a media report that, unable to bear the sexual harassment by a faculty member, a first-year Diploma student committed suicide by jumping down from the 4th floor of Chaitanya Engineering College in Kommadi area, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, on March 28," NHRC said in a press release.

Reportedly, in a message to her father on his mobile phone, she said that sexual harassment of girl students is common in the college and the management was not able to stop it, NHRC said. "The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights, which is a matter of concern," the NHRC added.

The Commission has further observed that, apparently, the negligent and reckless attitude of the authorities in the institution has led to this incident. This, as well as the allegations of sexual harassment of other students in the college, require to be investigated thoroughly so that the perpetrators are booked and such incidents of violation of the right to life and dignity do not recur, they said.

AP police arrest five persons

Meanwhile, the Andhra Pradesh police have arrested five persons in connection with the suicide of the minor girl student, an official has said.

Police arrested five persons from Kommadi Chaitanya Polytechnic College in the port city. ANI/PTI

NEW INDIAN EXPRESS, Visakhapatnam, 4.4.2024
Page No. 2, Size:(15.16)cms X (26.23)cms.

Student suicide: CS and DGP get NHRC notices

Directs State govt to investigate allegations of sexual misconduct made against faculty

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Visakhapatnam

IN connection with the suicide of Vizag student due to alleged sexual harassment by a faculty member, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Chief Secretary and Director General of Police (DGP), Government of Andhra Pradesh on Wednesday.

Expressing concern over the 'negligence and reckless attitude' of the college management, the NHRC took suo motu cognisance of the incident and directed the officials for a thorough investigation into the allegations of sexual harassment at Chaitanya Engineering College in Visakhapatnam.

The Commission, underlining the allegations of sexual harassment made by other students, emphasised the need for a thorough investigation to ensure accountability and prevent such violations of the 'Right to Life and Dignity' in the notice.

It may be recalled that a student ended her life by jumping from a building on March 28, citing sexual harassment and threats of posting objectionable pictures on Social Media. In response to the incident, the Andhra Pradesh Police arrested five individuals, including college principal, in Visakhapatnam on Tuesday. Additionally, the family of the 16-year-old girl staged a protest at the college premises on Wednesday. The protest, organised by the All India Students Federation (AISF), demanded the State government revoke the college's recognition.

AISF district secretary Nagaraju urged the State government to address the incident and provide financial assistance and a government job to one of the family members. The federation also warned of intensifying the protest if their demands were not met.

Indian Masterminds

Director General of NHRC Ajay Bhatnagar Granted Apex Pay Scale

https://indianmasterminds.com/news/director-general-of-nhrc-ajay-bhatnagar-granted-apex-pay-scale/#google_vignette

Senior IPS officer of 1989 batch, Mr. Ajay Bhatnagar, the incumbent Director General (Investigation) of the National Human Rights Commission (NHRC), was granted Apex pay scale (Level 17 in Pay Matrix) under a circular released by the Department of Personnel and Training (DoPT) on April 2. The Appointments Committee of Cabinet has given the nod to this proposal by the Ministry of Home Affairs regarding the upgradation of Mr. Bhatnagar's pay scale.

Telangana Today

NHRC notice to Andhra govt, DGP over student's suicide in Visakhapatnam

https://telanganatoday.com/nhrc-notice-to-andhra-govt-dgp-over-students-suicide-in-visakhapatnam

The NHRC has asked for a detailed report on the matter within four weeks and they have also asked the Andhra Pradesh Chief Secretary and the Director General of Police to include the status of the investigation.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Andhra Pradesh Chief Secretary and the Director General of Police over a college student dying by suicide allegedly due to sexual harassment by a faculty member, an official said.

The NHRC has asked for a detailed report on the matter within four weeks and they have also asked the Andhra Pradesh Chief Secretary and the Director General of Police to include the status of the investigation.

"The NHRC has taken suo motu cognizance of a media report that, unable to bear the sexual harassment by a faculty member, a first-year Diploma student committed suicide by jumping down from the 4th floor of Chaitanya Engineering College in Kommadi area, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, on March 28," NHRC said in a press release.

Reportedly, in a message to her father on his mobile phone, she said that sexual harassment of girl students is common in the college and the management was not able to stop it, NHRC said.

"The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights, which is a matter of concern," the NHRC added.

The Commission has further observed that, apparently, the negligent and reckless attitude of the authorities in the institution has led to this incident. This, as well as the allegations of sexual harassment of other students in the college, require to be investigated thoroughly so that the perpetrators are booked and such incidents of violation of the right to life and dignity do not recur, they said.

"According to the media report, carried on March 30, the victim was subjected to sexual harassment by one of the faculty members of the college who had clicked her compromising pictures and was blackmailing her that he would upload these on social media," the NHRC said.

Samachar Nama

Ranchi दारोगा मीरा सिंह व ASI सुनील सिंह के खिलाफ जांच में क्या हुआ हासिल? NHRC ने मांगी रिपोर्ट

https://samacharnama.com/city/ranchi/what-happened-in-the-investigation-against-ranchi-daroga/cid14061733.htm

रांची न्यूज डेस्क।।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची के एसएसपी को पत्र लिखकर चतरा के युवक विकास सिन्हा की बेरहमी से पिटाई के मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर पूरी रिपोर्ट मांगी है. आयोग जानना चाहता है कि तत्कालीन तुपुदा ओपी प्रभारी मीरा सिंह और एएसआई सुनील सिंह पर लगे आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई.

आयोग पहले ही एसएसपी से रिपोर्ट मांग चुका है

आयोग ने इस मामले में 9 मई तक रिपोर्ट तलब की है. इससे पहले भी आयोग ने पूरे मामले में एसएसपी से रिपोर्ट मांगी थी. 11 मार्च को भेजी गई रिपोर्ट में एसएसपी ने कहा कि चतरा के युवक विकास सिन्हा को चोरी के संदेह में उठाकर बेरहमी से पीटा गया, लेकिन पूरे मामले की अब तक जांच नहीं हुई है.

यह भी कहा गया कि इंस्पेक्टर मीरा सिंह और एएसआई सुनील सिंह के खिलाफ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, जिसमें दोनों को दोषी पाया गया था. इसके बाद ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी, जो अब तक लंबित है. आयोग ने अब इस जवाब पर एसएसपी से और जानकारी मांगी है.

विकास सिन्हा की ऑनलाइन एफआईआर नहीं ली गई

11 मार्च को रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजे जवाब में धुर्वा थाना कांड संख्या 16/2023 का जिक्र किया. मामला चोरी का है, जिसमें नम्रता गुप्ता नाम की महिला के घर चोरी हुई. इसी मामले में तत्कालीन ओपी प्रभारी टपुड़ा मीरा सिंह और एएसआई सुनील सिंह पर विकास सिन्हा नाम के गार्ड को उठाकर बेरहमी से पीटने का आरोप है. मारपीट में घायल विकास सिन्हा ने इंस्पेक्टर मीरा सिंह और एएसआई सुनील सिंह के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करायी, जिस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी. ऑनलाइन एफआईआर में विकास सिन्हा की शुरुआती जांच ही की गई थी. आयोग को भेजी गयी रिपोर्ट में विकास सिन्हा की ऑनलाइन एफआईआर को छुपाया गया है.

मोबाइल से डिजिटल सबूत बरामद

ईडी ने मंगलवार को इंस्पेक्टर मीरा सिंह से उनके मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर लंबी पूछताछ की। 21 मार्च को उनके और उनके करीबी जमीन कारोबारी और कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के घर पर छापेमारी की गई. छापेमारी में ईडी ने 12.50 लाख रुपये नकद, आठ मोबाइल फोन और कुछ अन्य दस्तावेज जब्त किये. मोबाइल में मिले व्हाट्सएप चैट और डिजिटल सबूतों से रेत तस्करी से जुड़े कई सबूत मिले हैं. व्हाट्सएप चैट के आधार पर ईडी ने लंबी पूछताछ भी की है.

ईडी ने अवैध कमाई का हिस्सा कहां-कहां पहुंचा आदि तथ्यों की भी जानकारी ली है. ईडी यह जानना चाहती है कि तुपुदा ओपी क्षेत्र में कहां-कहां जमीन की अवैध तरीके से घेराबंदी की गयी है और इसे किसका समर्थन प्राप्त है. ईडी ने इंस्पेक्टर मीरा सिंह से आय-व्यय और चल-अचल संपत्ति का ब्योरा भी मांगा है.

TV 9

मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया केस

https://www.tv9hindi.com/india/new-twist-in-mukhtar-ansari-death-case-registered-in-human-rights-commission-2528343.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है. आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आयोग से इस मौत के संदिग्ध होने की शिकायत की थी.

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद रहें माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को एक मेडिकल कालेज में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी थी. इस मामले में अब एक और नई जानकारी सामने आई है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के मामले में केस दर्ज कर लिया है. आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत व जेल अधीक्षक बांदा की रिपोर्ट के क्रम में इस केस दर्ज किया गया है. जेल अधीक्षक बांदा ने प्रक्रिया के अनुसार जेल में कैदी की मृत्यु पर मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी. अमिताभ ठाकुर ने आयोग से इस मृत्यु के संदिग्ध होने की शिकायत की थी. उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोग एक लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें काफी समय से स्लो पाइजन यानी ऐसा जहर जो धीमें-धीमें इंसान की जान लेता है दिया जा रहा था.

ट्रांसफर पर उठे सवाल

मौत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा अंसारी परिवार के लोग पहले से ही जेल में हत्या के षडयंत्र की आशंका व्यक्त कर रहे थे. साथ ही तबीयत खराब होने के बाद भी अस्पताल से जेल वापस भेज दिए गए. इसके बाद एक जेलर का कुछ दिन पहले ही बांदा जेल में ट्रांसफर हुआ. बांदा जेल में आने सहित तमाम ऐसे संदिग्ध तथ्य हैं, जो मुख्तार अंसारी की मौत पर गंभीर सवाल उठाते हैं.

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

आपको बता दें, 28 मार्च को बांदा जेल में बंद मुख्तार को दिल का दौरा पड़ा, इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गयी थी. मुख्तार की मौत के बाद शासन और प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद ADM राजेश कुमार ने जांच पड़ताल शुरू की. कहा जा रहा है जांच के दौरान जेल में उस दिन ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.

India Today

Human rights notice to Andhra Pradesh government over student's suicide

https://www.indiatoday.in/india/andhra-pradesh/story/human-rights-notice-to-andhra-pradesh-government-over-students-suicide-2522527-2024-04-03

The NHRC has issued a notice to the Andhra Pradesh government and the state's police chief over a college student killing herself allegedly due to sexual harassment by a faculty member.

The National Human Rights Commission of India (NHRC) has issued a notice to the Andhra Pradesh government and the state's police chief over a college student committing suicide allegedly due to sexual harassment by a faculty member, officials said on Tuesday.

The NHRC in a statement has observed that apparently, the "negligent and reckless attitude of the authorities" of the institution had led to this incident.

The Andhra Pradesh Police arrested five people in Visakhapatnam on Tuesday in connection with the death by suicide of a 17-year-old girl who made sexual harassment allegations against her college officials.

She ended her life by jumping to death from a building on the intervening nights of March 28 and 29, alleging that some unidentified persons had threatened to post her objectionable pictures on social media.

The NHRC has taken suo motu cognisance of a media report that "unable to bear the sexual harassment by a faculty member, a first-year diploma student committed suicide by jumping from the fourth floor of Chaitanya Engineering College in Kommadi area, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh on March 28", it said.

Reportedly, in a message to her father on his mobile-phone, she had alleged that sexual harassment of girl students is "common in the college and the management was not able to stop it", the statement said.

The commission has observed that the content of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights and it is a matter of concern.

The NHRC said that accordingly, it has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Andhra Pradesh, seeking a detailed report in four weeks. It should also include the status of the investigation, the rights panel said.

Also, allegations of sexual harassment of other students in the college, require to be "investigated thoroughly" so that the perpetrators are booked and such incidents of violation of the right to life and dignity do not recur, it said.

Amrit Vichar

Mukhtar Ansari Death: मुख्तार की मौत पर मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज...जांच के लिए दोनों कमेटियां सक्रिय

https://www.amritvichar.com/article/455242/mukhtar-ansari-death-case-registered-in-human-rights-commission-on#gsc.tab=0

बांदा में मुख्तार की मौत पर मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज

बांदा, अमृत विचार। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर सीजेएम के आदेश पर न्यायिक और जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की मजिस्ट्रेटीयल जांच की जा रही है। वहीं इस मामले पर सेवानिवृत्त आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की पहल पर मानवाधिकार आयोग में भी केस दर्ज हो गया है। हालांकि मानवाधिकार आयोग के समक्ष जेल अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

मंडल कारागार में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के बाद जहां प्रशासनिक अमला सकते में आ गया, वहीं समाजसेवी संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक ने माफिया की मौत पर संदेह जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी।

उधर, मुख्तार के परिजनों ने भी जेल प्रशासन पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। इसके पहले मुख्तार ने बाराबंकी की अदालत में वकील के जरिए प्रार्थनापत्र देकर जेल प्रशासन पर भोजन के साथ 'स्लो प्वाइजन' देने का गंभीर आरोप लगाया था।

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेज कर मौत के हालातों की बिंदुवार जांच कराने की मांग उठाई थी। शिकायत में ठाकुर ने कहा था कि जब मुख्तार और उसके परिजन हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे थे और मुख्तार लगातार अपनी तबीयत खराब होने की बात कह रहा था तो उसे अस्पताल में रखकर समुचित उपचार मिलना चाहिए था, जबकि मौत के दो दिन पहले बीमार होने पर प्रशासन उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया लेकिन उपचार के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया।

इसके बाद 28 मार्च को उसकी तबीयत और अधिक खराब हो गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि मामले में कई ऐसे तथ्य हैं, जिससे मौत का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। मानवाधिकार आयोग ने ठाकुर की शिकायत और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर केस संख्या 6183/24/12/2024 जेसीडी दर्ज कर लिया है।

मुख्तार की मौत पर दो जांच कमेटियां सक्रिय

मंडल कारागार में बंद रहे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर गठित दो जांच कमेटियां सक्रिय हो गई हैं। जहां एक ओर सीजेएम भगवान दास गुप्ता के आदेश पर नामित न्यायिक जांच अधिकारी एसीजेएम प्रथम गरिमा सिंह और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पर नामित मजिस्ट्रेटीयल जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मंडल कारागार पहुंचकर जांच तेज कर दी है। दोनों ही अधिकारी लगभग दो घंटे जेल के अंदर मौजूद रहे।

सूत्रों की मानें तो एसीजेएम प्रथम गरिमा सिंह और ने जेल पहुंचकर जेल प्रशासन की मौजूदगी में जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी बिंदुओं का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद जेल के स्टाफ से पूछताछ की। जेल में स्थित मुख्तार की बैरक नंबर 16 को पहले ही सील किया जा चुका है, ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

वहीं मजिस्ट्रेटीयल जांच अधिकारी एडीएम राजेश कुमार ने भी अपनी जांच तेज करते हुए जेल पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। एडीएम ने सार्वजनिक सूचना जारी करके 15 अप्रैल तक संबंधित व्यक्तियों से लिखित, मौखिक अभिकथन, साक्ष्य या बयान प्रस्तुत करने को बुलाया है।